23.11.22

आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

20/12/22

आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-1-23 को पेश हो।

11.1.23

अधिवक्ता वादी उपस्थित, अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18-1-23 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 11/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अनिला पत्नी मदनलाल पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी 3 एमओडी (खोथावाली) तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ़। .... वादी

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री जीतपाल सैनी (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांक 18 जनवरी, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादिया के नाम (रामप्यारी) से चक 2 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 19/13 के मुरब्बा नं0 23 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.594 हैक्टेयर व मुरब्बा नं0 60/39 में 0.202 हैक्टेयर गै.मु. खाला कुल 3.796 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 104/77 के मुरब्बा नं0 39 के लि नं0 1, 1/1, 10, 11, 20/1 की कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि में हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम (रामप्यारी) से 45/949 हिस्सा दर्ज है। वादिया व उसकी बहन संतोष व माता गुड्डी देवी को उक्त भूमि अपने पिता/पति हनुमान से जरिये विरास्तन प्राप्त हुई थी, जमाबन्दी में वादिया का नाम रामप्यारी पुत्री हनुमान जाति जाट दर्ज है। वादिया के नाम (अनिला) से चक 6 टीकेडब्ल्यू तहसील सादुलशहर के खाता सं0 75 के प0 न0 .9/224 के मु0नं0 32 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.795 हैक्टेयर व प0न0 10/224 के मु0 नं0 31 के किला नं0 1 ता 25 की 6.075 हैक्टेयर कुल रकबा 10.1200 हैक्टेयर में से 241/10120 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल देरी से होने के कारण वादिया का नाम सही अंकित किया गया है। वादिया के पिता हनुमान की मृत्यु दिनांक 24.12.1984 को हुई थी, उस समय वादिया की आयु कुछ दिनों की थी। वादिया का जन्म दिनांक 01.01.1985 का है उस समय वादिया का नाम नहीं रखा गया था इसलिए पैरा सं0 2 में वर्णित चक 2 ई बड़ी तहसील श्रीगंगानगर की भूमि का इंतकाल करते समय अस्थाई नाम रामप्यारी के नाम से कर दिया गया जिसके कारण जमाबन्दी में भी वादिया का नाम रामप्यारी दर्ज हो गया, जबकि वादिया का नाम परिवारवालों द्वारा बाद में अनिला रखा गया था इसलिए वादिया का आधार कार्ड में नाम अनिला है। भामाशाह में भी अनिला है। पैरा सं0 03 में दर्ज सादुलशहर की भूमि में वादिया का नाम अनिला पुत्री हनुमान दर्ज है जबकि चक 2 ई बड़ी की जमाबंदियों में वादिया का अस्थाई नाम रामप्यारी दर्ज है जिसे सही किया जाकर अनिला किया जाना आवश्यक है। वादिया का कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज नाम व आधार, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादिया को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अडचने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारों को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज मुआवजा आदि की सुविधाओं से भी वादिया वंचित हो रही है। रामप्यारी व अनिला दो अलग–अलग महिला नहीं है बल्कि एक ही महिला (वादिया) के दो नाम है चूंकि वादिया के समस्त दस्तावेज अनिला के नाम से है परन्तु चक 2 ई बड़ी की जमाबंदी में रामप्यारी दर्ज होने से वादिया को काफी परेशानी हो रही है इसलिए वादिया जमाबंदी में अपना नाम रामप्यारी के स्थान

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पर अनिला दर्ज करवाना चाहती है। वादिया माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से आई है इसलिए वादिया उक्त संशोधन दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादिया के पीहर की ग्राम पंचायत शिवपुर फतुही के सरपंच ने भी अपने लेटरपैड पर प्रमाणित किया है कि रामप्यारी व अनिला एक ही लडकी के दो नाम है वादिया को दोनों ही नामों से जाना जाता है। वादिया के ससुराल ग्राम पंचायत खोथांवाली के सरपंच ने अपने लैटरपैड में प्रमाणित किया है कि अनिला उर्फ रामप्यारी पत्नी मदनलाल साकिन 31 एम ओ डी खोथांवाली तहसील पीलीबंगा की निवासी है प्रार्थीया को दोनों नामों से जाना जाता है। वादिया ने दिनांक 21.01.2021 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि वादिया का नाम जमाबंदी में संशोधित कर रामप्यारी के स्थान पर अनिला दर्ज किया जावे तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए आपको श्रीमान् के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा, यह वाद कारण है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश किया गया है। वादिया निम्नलिखित रिलिफ चाहती है:– चक 2 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 19/13 के मु0 नं0 23 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18 व किला नं0 23 ता 25 की 3.594 हैक्टेयर व मु0 नं0 60/39 में 0.202 हैक्टेयर गै.मु. खाला कुल 3.796 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 104/77 के मु0 नं0 39 के किला नं0 1, 2/1, 10, 11, 20/1 की कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम (रामप्यारी) से 45/949 हिस्सा दर्ज है जो जमाबंदी में **रामप्यारी** के नाम से दर्ज है की प्रविष्टि को संशोधित कर उसके स्थान पर वादिया का नाम **अनिला** दर्ज किया जावे।

दिनांक 12.04.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

वकील वादी द्वारा शपथ–पत्र अनिला पत्नी मदनलाल पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी 3 एमओडी (खोथावाली) तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ, गुड्डी देवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी 2 ई बड़ी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा मोनिका पुत्री संतोष पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी 2 ई बड़ी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 05.10.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही, पंचायत समिती श्रीगंगानगर की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार अनिला पुत्री हनुमान सिंह व रामप्यारी दोनों एक ही लड़की के नाम है तथा प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत खोथावली, पंचायत समिति पीलीबंगा(हनुमानगढ़) क्रमांक 18 दिनांक 16.01.2018 के अनुसार भी अनिला उर्फ रामप्यारी पत्नी मदनलाल को दोनों ही नामों से जाना जाता है।

आदेश

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं अभिलेखीय साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य स्वरुप चक 2 ई बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2070–2073, चक 6 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2275–2078, कार्यालय ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.11.2020, ग्राम पंचायत खोथावाली पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 18 दिनांक 16.01.2018, भारत सरकार द्वारा जारी वादिया के आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वादिया का भामाशाह ई–कार्ड परिवार पहचान सं0 BHRSCSV, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वादिया के माता गुड्डी देवी के नाम परिवार राशन कार्ड संख्या 670, तथा दिनांक 05.10.2021 को ग्राम पंचायत शिवपुर फतूही के अनुसार जमाबन्दी में रामप्यारी उर्फ अनिला नाम दर्ज किया जाकर चक 2 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 19/13 के मु0 नं0 23 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18 व किला नं0 23 ता 25 की 3.594 हैक्टेयर व मु0 नं0 60/39 में 0.202 हैक्टेयर गै.मु. खाला कुल 3.796 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 104/77 के मु0 नं0 39 के किला नं0 1, 2/1, 10, 11, 20/1 की कुल 0.949

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हेक्टेयर भूमि में वादिया के नाम (रामप्यारी) से 45/949 हिस्सा दर्ज है जो जमाबंदी में रामप्यारी के नाम से दर्ज है की प्रविष्टि में संशोधन कर उसके स्थान पर वादिया का नाम **रामप्यारी उर्फ अनिला** दर्ज किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को नियमानुसार नाम दुरूस्ती करने हेतु प्रेषित हो यथा स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18 जनवरी, 2023 को जारी किया गया।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
सहायक प्रशिक्षु आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 11/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अनिला पत्नी मदनलाल पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी 3 एमओडी (खोथावाली) तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ़। .... वादी

ब ना म

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री जीतपाल सैनी (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांक 18 जनवरी, 2023

वादपत्र संख्या 11/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी व पैरोकार राज प्रतिवादी– 01 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

जमाबन्दी में रामप्यारी उर्फ अनिला नाम दर्ज किया जाकर चक 2 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 19/13 के मु0 नं0 23 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 13 ता 18 व किला नं0 23 ता 25 की 3.594 हैक्टेयर व मु0 नं0 60/39 में 0.202 हैक्टेयर गै.मु. खाला कुल 3.796 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 104/77 के मु0 नं0 39 के किला नं0 1, 2/1, 10, 11, 20/1 की कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम (रामप्यारी) से 45/949 हिस्सा दर्ज है जो जमाबंदी में **रामप्यारी** के नाम से दर्ज है की प्रविष्टि में संशोधन कर उसके स्थान पर वादिया का नाम **रामप्यारी उर्फ अनिला** दर्ज किया जावे। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18 जनवरी, 2023 को जारी की गयी.

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
प्रशिक्षु आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
प्रशिक्षु आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर